

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायक
परीक्षा-2025

दिव्यांगजन (LV, PB, B, OA) परीक्षार्थियों हेतु संचालित की जाने वाली
अंग्रेजी टंकण परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

1. परीक्षार्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपका की-बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। की-बोर्ड, सीपीयू, माउस एवं अन्य किसी भी समस्या के लिए टंकण परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही कक्ष-निरीक्षक को अवगत करा दें तथा समस्या का समाधान करवा लें।
2. यह भी भली-भांति देख लें कि **की-बोर्ड** की कैप्स लॉक (**Caps Lock**) **ऑन** एवं नंबर लॉक (**Num Lock**) की (**Key**) **ऑफ** तो नहीं है।
3. अभ्यर्थी दूसरे की कम्प्यूटर-स्क्रीन को न तो देखेंगे और न ही आपस में बातचीत करेंगे। ऐसा करते हुए पाये जाने अथवा कोई भी ऐसा कार्य करने, जिससे परीक्षा बाधित हो, को अनुचित साधन प्रयोग समझा जाएगा तथा अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।
4. **दिव्यांग (LV, PB, B, OA) अभ्यर्थी** की टंकण परीक्षा **Times New Roman** के Font पर **MS Word** में आयोजित की जायेगी।
5. परीक्षार्थी को टंकण परीक्षा का मूल प्रश्नपत्र देने से पूर्व **2 मिनट का अभ्यास (Demo)** पेपर दिया जाएगा। डेमो में टंकित विषय-वस्तु को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।
6. **दिव्यांग (LV, PB, B, OA) अभ्यर्थी** को अंग्रेजी टंकण करने के लिए निर्धारित समय **10 मिनट के साथ 5 मिनट** का अतिरिक्त समय अर्थात् टंकण हेतु **कुल 15 मिनट** का समय दिया जाएगा।
7. स्टॉप-वॉच के माध्यम से समय का निर्धारण टाईम-कीपर के द्वारा किया जाएगा।
8. यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे "बैक स्पेस-की (**Back space-Key**)" की सहायता से मिटाया जा सकता है।
9. **दिव्यांग (LV, PB, B, OA) अभ्यर्थी** हेतु अंग्रेजी टंकण परीक्षा में कम्प्यूटर पर **की-डिप्रेशन प्रति घण्टा** गति के मापन हेतु **10 मिनट** की अवधि में निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

क्र० सं०	टंकण परीक्षा	न्यूनतम की-डिप्रेशन (10 मिनट)	की-डिप्रेशन प्रति घंटा
01.	अंग्रेजी टंकण	2000	12000 KDPH

10. अंग्रेजी टंकण में **12000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा** के मापन हेतु **10 मिनट** की अवधि में न्यूनतम **कुल 2000 की-डिप्रेशन** निर्धारित हैं। उक्त परीक्षा में पांच प्रतिशत त्रुटियों में छूट का प्राविधान है, जो कि **टंकण में न्यूनतम कुल 2000**

की-डिप्रेषन टंकित करने के पश्चात् ही लागू किया जायेगा। मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देश इस प्रकार है :-

- a) सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा कुल टंकित शब्दों के आधार पर **Key-Depression** की गणना की जाएगी।
 - b) शुद्ध टंकित **Key-Depression** के आधार पर **Correct Key-Depression** की गणना की जाएगी।
 - c) अशुद्ध टंकित **Key-Depression** के आधार पर **Wrong Key-Depression** की गणना की जाएगी।
 - d) कुल टंकित **Key-Depression** का 5 प्रतिशत **Key-Depression** की छूट **Wrong Key-Depression** के सापेक्ष की जाएगी।
 - e) **Wrong Key-Depression** के सापेक्ष प्राप्त छूट (उपर्युक्त 'd' के अनुसार) को **Wrong Key-Depression** में से घटा दिया जाएगा।
 - f) उपर्युक्त 'e' के अनुसार अवशेष **Wrong Key-Depression** को 5 से गुणा कर दिया जाएगा (दण्डस्वरूप **Key-Depression**)।
 - g) **Correct Key-Depression** में से उपर्युक्त 'f' के अनुसार प्राप्त दण्डस्वरूप **Key-Depression** को घटाया जाएगा, तत्पश्चात् कुल प्राप्त **Key-Depression (Credit Key-Depression)** की गणना की जाएगी।
11. परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल फोन, फोटो कैमरा, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार क्षमता वाले उपकरणों का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है।
 12. टंकण परीक्षा का आरम्भ टाईम-कीपर के द्वारा घंटी बजाकर अथवा स्टार्ट शब्द बोलकर किया जाएगा, तदोपरान्त ही वाचक (यदि हो तो) द्वारा विषय-वस्तु का वाचन प्रारम्भ किया जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा समाप्ति पर टाईम-कीपर द्वारा घंटी बजाने अथवा स्टॉप शब्द बोलने के साथ ही श्रुतलेखक द्वारा विषय-वस्तु का वाचन बन्द कर दिया जाएगा।
 13. यदि अभ्यर्थी जानबूझकर कम्प्यूटर में संचित डाटा/सोर्स कोड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे बदलता है या उसे कम्प्यूटर से मिटा देता है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर इस परीक्षा से एवं आगामी परीक्षाओं से भी प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 के अधीन भी कार्यवाही की जायेगी।
 14. टंकण परीक्षा हेतु आयोग द्वारा की-बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, यदि कोई अभ्यर्थी अपना की-बोर्ड लाना चाहता है तो उसे केवल USB की-बोर्ड लाने की अनुमति होगी।